लोक शिक्षण संचालनालय
छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, खण्ड–3, प्रथम तल, अटल नगर, रायपुर
फोन नम्बर–0771.2331385,Email Id - cg.dpi.dir@gmail.com

क्रमांक / सत. / G / महासमुंद / 01 / 2026 /   नवा रायपुर, दिनांक

प्रति,

श्री विजय कुमार लहरे,
प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी,
जिला महासमुंद(छ.ग.)

विषयः– कारण बताओ सूचना पत्र ।

–––000–––

उपरोक्त विषयांतर्गत दैनिक समाचार पत्र नवभारत में दिनांक 08.01.2026 को प्रकशित समाचार शीर्षक– **"चौथी की परीक्षा में सवाल पर बवाल, कुत्ते का नाम – शेरू या राम ?** का अवलोकन करें । प्रकाशित समाचार अनुसार महासमुंद जिले में कक्षा चौथी के अंग्रेजी विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया– "मोना के कुत्ते का नाम क्या है ?" विकल्प में शेरू के साथ **राम** का नाम भी शामिल था ।

2/ जिला अंतर्गत संचालित प्राथमिक शालाओं के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का निर्धारण, मुद्रण एवं वितरण की समस्त जवाबदारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी की है, फिर भी आपके जिले अंतर्गत प्रश्न पत्रों को तैयार करने में गंभीर लापरवाही की गई है, जिसके कारण कक्षा चौथी के अंग्रेजी विषय के प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्न में कुत्ते के नाम के विकल्प के रूप में हिन्दु धर्म के आराध्य देव भगवान राम का नाम सम्मिलित किया गया है, जो कि बहुत ही आपत्ति जनक, निंदनीय एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, जिससे शासन एवं विभाग की छवि धूमिल हुई है।

3/ आपका उक्त कृत्य पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है, जो छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम–3 के विपरीत गंभीर कदाचार है ।

4/ अतः उक्त संबंध में क्यों न आपके विरूद्ध छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाये ? इस संबंध में आप अपना लिखित प्रतिवाद तत्काल आज–ही अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्रस्तुत करें । आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आपका प्रतिवाद निर्धारित समयावधि में प्राप्त नहीं होता है, तो आपके विरूद्ध नियमानुसार एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी ।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

संचालक
लोक शिक्षण, छत्तीसगढ़

CIVIL INDIA NEWS